

:- संपरिवर्तन आदेश :

आवेदक/प्रार्थी श्री रघूनाथ शिक्षण संस्थान दांतारामगढ़ जरिये ओमप्रकाश स्वामी पुत्र जगदीश प्रसाद जाति स्वामी निवासी रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृत में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू. राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है : -

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	श्री रघूनाथ शिक्षण संस्थान दांतारामगढ़ जरिये ओमप्रकाश स्वामी पुत्र जगदीश प्रसाद जाति स्वामी निवासी रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम रामगढ़ ग्रा० पंचायत रामगढ़ तह० दांतारामगढ़ जिला सीकर			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 1149/344 रकबा 0.50 है० किस्म चाही में से 0.35 है० यानि 3500 वर्गमीटर			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	रकबा	संपरिवर्तित रकबा है०	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि(वर्गमीटर)
		1149/ 344	0.50 है०	0.35	3500 वर्गमीटर
	टिप्पणी:-(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न नक्शा ट्रेश में संपरिवर्तित रकबे को बरंग सुर्ख से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन			
5	संदेय प्रीमियम की दर	6.38 रु० प्रति वर्गमीटर			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चा.सं 122 दि० 28.06.19 तादाद 25360/ रुपये जमा			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	1 इंपिडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार सडक/रास्ते/रेल्वे/की सीमा कि भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार नियमानुसार छोड़ते हुए।			

कृ.पृ.उ...2

उपर्युक्त अधिकारी
दांतारामगढ़

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-

1. इंडियन रोड कॉम्प्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. रानुवधित ग्राम पंचायत के नियमों की पालना की जावेगी, तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
3. यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कॉम्प्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रानुवधित राडकों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के परिपत्र कंमाक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र कंमाक f-2(8)raj/bhu-ru group 09/02 जयपुर dt. 20.11.04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कॉम्प्रेस के अनुसार लागू होंगे।
5. The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
6. No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
7. No part of the land converted for public utiltiy purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
8. If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period or 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
9. प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड़ पर्याप्त रूप से लगाये जावें।
10. सड़क व रास्ते व एच.टी.लाईन नक्शा ट्रैस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ा गया रकवा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पुर्णतया वर्जित रहेगा।




कंमाक / भूमि रूपान्तरण / 2019 / राजस्व / 211-18

प्रतिलिपि:- निम्न कार्यक्रमोंकार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार दांतारामगढ़।
- 3 उप पंजीयक दांतारामगढ़।
- 4 पटवारी हल्का, रामगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा उप पंजीयक के यहां पंजीयन करवाने के बाद ही नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।
- 5 श्री रघुनाथ शिक्षण संस्थान दांतारामगढ़ जरिये ओमप्रकाश स्वामी पुत्र जगदीश प्रसाद जाति स्वामी निवासी रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।


प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़)
दिनांक: 27 जून, 2019


उपसंचारित अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़)